अनुबंध-I

भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ किए जाने वाले रेपो/रिवर्स (प्रतिवर्ती) रेपो लेनदेनों के संबंध में संपार्श्विक प्रतिभूति के बाज़ार मूल्य की गणना संबंधी परिचालनात्मक दिशानिर्देश

1. निम्नलिखित दिशानिर्देश भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ किए जाने वाले सभी प्रकार के रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेनों पर लागू होंगे, जिनके अंतर्गत चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ), परिवर्ती दर परिचालन और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) शामिल हैं।
2. सभी प्रकार के एसएलआर-योग्य भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियाँ/राज्य विकास ऋण (एसडीएल) तथा ट्रेज़री बिल (टी-बिल), भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ किए जाने वाले रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेनों के लिए ग्राह्य होंगे।
3. संपार्श्विक के रूप में प्रयुक्त प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, 26 नवंबर 2016 से प्रतिभूतियों के बाज़ार मूल्य पर आधारित होगा।
4. सरकारी प्रतिभूतियों/ट्रेजरी बिलों के मूल्य/प्रतिफल (यील्ड) के आकलन हेतु 'भारतीय नियत आय, मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ (फिम्डा)' द्वारा दैनिक आधार पर (कार्यदिवस जिस दिन सरकारी प्रतिभूतियों में ट्रेड किया गया) जारी आंकड़ों का उपयोग मूल्यांकन के लिए किया जाएगा।
5. जहां तक किसी एक दिन में किए जाने वाले सभी प्रकार के रेपो/रिवर्स रेपो परिचालन का संबंध है, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के लिए प्रयोज्य मूल्य, फिम्डा द्वारा पिछले कार्य दिवस से संबंधित जारी किए गए मूल्यों पर आधारित होंगे।
6. सरकारी प्रतिभूतियों की डर्टी प्राइस (क्लीन प्राइस + उपचित ब्याज) का परिकलन '30/360' दिन वाली गणना पद्धति के आधार पर किया जाएगा।
7. ट्रेजरी बिलों की कीमत के परिकलन के लिए 'वास्तविक/365' दिन वाली गणना पद्धति का उपयोग किया जाएगा।
8. मध्यवर्ती परिपक्वता अवधि वाले ट्रेजरी बिलों के मूल्य का अवकलन उपलब्ध परिपक्वता अवधियों के संबंध में फिम्डा के ट्रेजरी बिल प्रतिफल आंकड़े पर रैखिक अंतर्वेशन का उपयोग करके किया जाएगा।
9. केंद्र सरकार प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों का प्रारंभिक मार्जिन क्रमश: 4 प्रतिशत और 6 प्रतिशत होगा, जिसकी भविष्य में समीक्षा की जा सकती है ।
10. यदि किसी कारणवश किसी दिन का फिम्डा मूल्य/प्रतिफल उपलब्ध न हो तो नवीनतम उपलब्ध पूर्ववर्ती आंकड़े का उपयोग मूल्यांकन के लिए किया जाएगा।
11. प्रतिफल/मूल्य का सन्निकटन 4 दशमलव अंकों का पूर्णांकन कर किया जाएगा। रेपो और रिवर्स रेपो दोनों मामलों में विनिमय की जाने वाली संपार्श्विक, 10,000 (पूर्णांकन के बाद) के गुणकों में होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे लेनदेन अल्प-संपार्श्विकृत नहीं हैं।
12. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों/राज्य विकास ऋणों, ट्रेजरी बिलों और स्ट्रिप्स (STRIPS) के बाज़ार मूल्य पर आधारित मूल्यांकन के क्रमश: दृष्टांतदर्शक उदाहरण नीचे दिए गए हैं।

<u>उदाहरण - क : केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों/राज्य विकास ऋणों का मूल्यांकन</u>	
i.	*उदाहरण :* दिनांक 06.09.2016 को संपन्न आरबीआई मीयादी रेपो नीलामी में रु.100 करोड़ की सफल बोली के लिए एक सहभागी 8.33%GS2026 केंद्र सरकार की प्रतिभूति (परिपक्वता की तारीख : 09.07.2026, अंतिम कूपन की तारीख : 09.07.2016) प्रस्तुत करता है।
ii.	दिनांक 02.09.2016 (03, 04 और 05.09.2016 को सरकारी प्रतिभूति बाज़ार बंद रहा) को फिम्डा द्वारा जारी प्रतिभूति का मूल्य रु.108.6792 है।
iii.	दिनांक 09.07.2016 (अंतिम कूपन की तारीख) से 06.09.2016 (रेपो लेनदेन की तारीख) तक की 57 दिनों की अवधि के लिए उपार्जित ब्याज रु.1.3189 (8.33 x 57/360) होगा।
iv.	तदनुसार, प्रतिभूति की सकल कीमत रु.109.9981 (108.6792 + 1.3189) होगी। अत: रेपो संघटक (आरसी) खाते से ऋणांकित की जाने वाली प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य 4 प्रतिशत मार्जिन लागू करने और 10,000 के गुणजों में पूर्णांकित किए जाने के बाद रु.94,54,80,000 (1.04 x 100,00,00,000 x 100/ 109.9981) होगा।
v.	राज्य विकास ऋणों की सकल कीमत की परिकलन-पद्धति प्रयोज्य प्रारंभिक मार्जिन लगाने के बाद उपरोक्त अनुसार होगी।
<u>दृष्टांत—ख : ट्रेजरी बिलों का मूल्यांकन</u>	
i.	फिम्डा केवल चयनित परिपक्वता अवधियों (7, 14, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 और 364 दिन) के लिए बेंचमार्क प्रतिफल (YTM और बट्टा प्रतिफल (yield)) जारी करता है। अवशिष्ट परिपक्वता की अवधियों के प्रतिफल के आकलन के लिए रैखिक अंतर्वेशन का उपयोग किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि 10 दिनों की अवशिष्ट परिपक्वता अवधि ($टी_x$) के प्रतिफल का अवकलन करना है तो क्रमश: 7 दिनों ($टी_1$) और 14 दिनों ($टी_2$) के फिम्डा प्रतिफलों का उपयोग किया जाएगा। वहीं, 7 दिनों से कम अवशिष्ट परिपक्वता अवधि के लिए 7 दिवसीय YTM का उपयोग किया जाएगा।
ii.	परिपक्वता अवधि ($टी_x$) पर प्रतिफल के रैखिक अंतर्वेशन का सूत्र ($टी_1$<$टी_x$<$टी_2$)= $टी_1$ के लिए प्रतिफल + [{($टी_2$ के लिए प्रतिफल – $टी_1$ के लिए प्रतिफल)/($टी_2$-$टी_1$)} x ($टी_x$ – $टी_1$)]
iii.	मूल्य= 100/(1 + प्रतिशत में YTM x ट्रेजरी बिल की परिपक्वता के लिए शेष दिन / 365)
iv.	*उदाहरण :* दिनांक 06.09.2016 को संपन्न मीयादी रेपो नीलामी में रु.100 करोड़ की सफल बोली के लिए एक सहभागी 16.09.2016 (10 दिनों की अवशिष्ट परिपक्वता अवधि) को परिपक्व होने वाले 364 दिवसीय ट्रेजरी बिल प्रस्तुत करता है। 02.09.2016 (3, 4 और 5 सितंबर 2016 को सरकारी प्रतिभूति बाज़ार बंद रहा) को फिम्डा में जारी आंकड़ों के अनुसार 7 दिनों की परिपक्वता अवधि के लिए YTM 6.4138 प्रतिशत है और 14 दिनों की परिपक्वता अवधि के लिए YTM 6.4232 प्रतिशत है। 10 दिनों की परिपक्वता अवधि के रैखिक अंतर्वेशन के आधार पर YTM 6.4178 प्रतिशत होगा और तदनुसार, मूल्य का अवकलन रु. 99.8245 किया जा सकता है।
v.	अत: 4 प्रतिशत का मार्जिन लागू करने और 10,000 के गुणकों में पूर्णांकित करने के बाद सहभागी के RC खाते से ऋणांकित किए जाने वाले विशिष्ट ट्रेजरी बिल का अंकित मूल्य रु.104,18,30,000 होगा (1.04 x 100,00,00,000 x 100 / 99.8245)।

दृष्टांत—ग : स्ट्रिप्स का मूल्यांकन	
i.	फिम्डा स्ट्रिप्स के मूल्य दैनिक आधार पर जारी करता है।
ii.	*उदाहरण :* दिनांक 06.09.2016 को संपन्न आरबीआई मीयादी रेपो नीलामी में रु.100 करोड़ की सफल बोली के लिए एक सहभागी 'पीएस 02 जनवरी 2020' का एक मुख्य स्ट्रिप प्रस्तुत करता है। 02.09.2016 (3, 4 और 5 सितंबर 2016 को सरकारी प्रतिभूति बाज़ार बंद रहा) को फिम्डा मूल्य रु.79.7749 है। अत: 4 प्रतिशत का मार्जिन लागू करने और 10,000 के गुणकों में पूर्णांकित करने के बाद सहभागी के RC खाते से ऋणांकित विशिष्ट ट्रेजरी बिल का अंकित मूल्य रु.130,36,70,000 होगा (1.04 x 100,00,00,000 x 100 / 79.7749)।

अनुबंध – II

रिज़र्व बैंक रिवर्स रिपो के अंतर्गत प्राप्त प्रतिभूतियों के पुनर्रिपो (री -रिपो) संबंधी परिचालनात्मक दिशानिर्देश

1. रिज़र्व बैंक रिवर्स रिपो नीलामी में प्राप्त प्रतिभूतियों का पुनर्रिपो करने के लिए सहभागी अपने रिवर्स रिपो संघटक खाते (RRC Account) से प्रतिभूतियों को अपने एसजीएल (SGL) खाते में अंतरित कर सकेंगे।

2. प्रतिभूतियों के पुनर्रिपो की अनुमति रिज़र्व बैंक के दिनांक 5 फरवरी 2015 के परिपत्र एफ़एमआरडी. डीआईआरडी.5/14.03.002/2014-15 में निर्धारित की गई शर्तों के अधीन होगी। इसके अतिरिक्त रिज़र्व बैंक मीयादी रिवर्स रिपो के अंतर्गत प्राप्त प्रतिभूतियों के पुनर्रिपो पर भी यहां दी गई शर्तें लागू होंगी।

3. पुनर्रिपो के प्रयोजन के लिए सहभागी संबंधित मीयादी रिवर्स रिपो के दूसरे चरण के निपटान से दो कार्यदिवस पहले तक (अर्थात ऐसे दिन जब सरकारी प्रतिभूति बाज़ार कार्यरत हो) आरआरसी खाते से प्रतिभूतियां आहरित कर सकेंगे।

4. ओवरनाइट रिवर्स रिपो नीलामी में प्राप्त प्रतिभूतियों के पुनर्रिपो की अनुमति नहीं है।

5. सहभागी द्वारा अपने आरआरसी खाते से आहरित की जा सकने वाली प्रतिभूतियों की मात्रा मार्जिन राशि को छोड़कर होगी जो पहले चरण के लेन-देन के बाद तय होगी (वर्तमान में केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए 4 प्रतिशत और एसडीएल के लिए 6 प्रतिशत)। यदि रिज़र्व बैंक की मीयादी रिवर्स रिपो नीलामी में बहुविध प्रतिभूतियां दी गई हों तो आरआरसी खाते से आहरण के लिए प्रतिभूति अनुसार मार्जिन राशि लागू होगी। इसका उदाहरण नीचे दिया जा रहा है:

<u>दृष्टांत</u> क: पुनर्रिपो के लिए आहरित की जा सकने वाली अधिकतम प्रतिभूतियां
i. सहभागी ने 06/09/2016 को 8 दिवसीय रिज़र्व बैंक मीयादी रिवर्स रिपो नीलामी (दूसरे चरण का निपटान 14/09/2016 को) में रु.400 करोड़ जमा किए और उसे पहले चरण में इस प्रकार प्रतिभूतियां मिलीं – रु.94,54,80,000 अंकित मूल्य की केंद्र सरकार की प्रतिभूति, 8.33%GS2026, रु.103,96,40,000 अंकित मूल्य की केंद्र सरकार की प्रतिभूति, 6.97%GS2026, रु.104,18,30,000 अंकित मूल्य का 364 दिवसीय ट्रेजरी बिल जिसकी मीयाद 10 दिन बची है और रु.130,36,70,000 अंकित मूल्य का प्रिंसिपल स्ट्रिप 'PS02JAN 2020' (ये वही प्रतिभूतियां हैं जो अनुबंध 1 में दी गई हैं)। ii. पुनर्रिपो के प्रयोजन के लिए प्रतिभूतियां दिनांक 06/09/2016 से 09/09/2016 तक किसी भी दिन आहरित की जा सकती हैं [क्योंकि 10,11 और 13/09/2016 को सरकारी प्रतिभूति बाज़ार बंद हैं और पुनर्रिपो के लिए प्रतिभूतियों का उपयोग मीयादी रिवर्स रिपो के दूसरे चरण के निपटान से दो दिन पहले तक किया जा सकता है(अर्थात जिस दिन सरकारी प्रतिभूति बाज़ार कार्यशील होगा)] । iii. रिज़र्व बैंक मीयादी रिवर्स रिपो की अवधि (टेनॅर) के दौरान पुनर्रिपो प्रयोजन हेतु अधिकतम प्रतिभूतियां आहरित करने की सीमा, 4 प्रतिशत लागू मार्जिन को छोड़कर और 10,000 रुपए के गुणकों में पूर्णांकित

करने के बाद, इस प्रकार होगी - रु.90,91,10,000 अंकित मूल्य की केंद्र सरकार की प्रतिभूति 8.33% GS 2026, रु.99,96,50,000 अंकित मूल्य की केंद्र सरकार की प्रतिभूति 6.97% GS2026, रु.100,17,50,000 अंकित मूल्य का 364 दिवसीय ट्रेजरी बिल जिसकी मीयाद 10 दिन बची है और रु.125,35,20,000 अंकित मूल्य का प्रिंसिपल स्ट्रिप 'PS 02 JAN 2020'।

6. सहभागी को सुनिश्चित करना होगा कि लेनदेन के प्रथम चरण में प्राप्त वही प्रतिभूतियों (जैसे, ISIN संख्या तथा अंकित मूल्य) के सेट द्वितीय चरण के निपटान के समय वापिस किये जाते हैं। अलग प्रतिभूतियों अथवा उनके किसी प्रकार के संयोजन को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

7. आरबीआई रिवर्स रिपो के लिए द्वितीय चरण का निपटान, निपटान वाले दिन के प्रारंभ में होता है, इसलिए सहभागियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक दिन पूर्व के अंत में RRC खाते में प्रतिभूतियों के वही सेट उपलब्ध हों।

8. **द्वितीय चरण के निपटान के दौरान व्यतिक्रम** : यदि सहभागी मीयादी रिवर्स रिपो के द्वितीय चरण निपटान के समय प्रतिभूतियों के वही सेट उपलब्ध नहीं करवाते हैं तो उसे व्यतिक्रम के रूप में माना जाएगा। इस प्रकार का व्यतिक्रम करने वाले सहभागियों के लिए ई-कुबेर पोर्टल पर 'MYDOWNLOADS' भाग में एक रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाएगी तथा सहभागियों को निपटान के दिवस के दौरान शाम 5:30 बजे तक पर्याप्त प्रतिभूतियाँ उपलब्ध कराने की अनुमति दी जाएगी। व्यतिक्रम के लिए दंड संबंधी प्रावधान लागू होंगे।

दृष्टांत ख: द्वितीय चरण निपटान में व्यतिक्रम	
i.	सहभागी ने उपर्युक्त उदाहरण (क) में दी गई विस्तृत जानकारी के अनुसार पुनर्रिपो के लिए अनुमत अधिकतम प्रतिभूतियाँ निकाली है, अर्थात रु.90,91,10,000 अंकित मूल्य की केंद्र सरकार की प्रतिभूति 8.33%GS 2026, रु.99,96,50,000 अंकित मूल्य की केंद्र सरकार की प्रतिभूति 6.97%GS2026, रु.100,17,50,000 अंकित मूल्य का 364 दिवसीय ट्रेजरी बिल जिसकी अवधि 10 दिन बची है और 125,35,20,000 अंकित मूल्य का प्रिंसिपल स्ट्रिप 'PS 02 JAN 2020'
ii.	सहभागी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उक्त सभी उल्लिखित प्रतिभूतियाँ उसके आरआरसी खाते में 12/09/2016 (14/09/2016 को द्वितीय चरण के रिवर्सल के लिए क्योंकि 13/09/2016 को अवकाश का दिन है) तक रहे।
iii.	किसी प्रकार की कमी को व्यतिक्रम के रूप में माना जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि उपर्युक्त में से सहभागी ने रु.80,91,00,000 अंकित मूल्य की केंद्र सरकार की प्रतिभूति 8.33%GS2026, रु.99,96,50,000 अंकित मूल्य की केंद्र सरकार की 6.97%GS 2026, रु.100,17,50,000 अंकित मूल्य का 364 दिवसीय ट्रेजरी बिल जिसकी अवधि 10 दिन बची है और 125,35,20,000 अंकित मूल्य का प्रिंसिपल स्ट्रिप 'PS02JAN2020' प्रदान किए हैं।

iv.	रु.10,00,00,000 अंकित मूल्य की केंद्र सरकार की प्रतिभूति 8.33 %GS 2026 की इस कमी को व्यतिक्रम के रूप में माना जाएगा तथा संबंधित सहभागी के मीयादी रिवर्स रिपो के द्वितीय चरण निपटान को रोका जाएगा। इसके अतिरिक्त, दंड संबंधी प्रावधान लागू होंगे।
v.	इस प्रकार के व्यतिक्रम के लिए सिस्टम से एक रिपोर्ट प्राप्त होगा तथा यह रिपोर्ट सहभागी के 'MYDOWNLOADS' पर उपलब्ध रहेगी। व्यतिक्रम करने वाले सहभागी को संबंधित प्रतिभूतियों की कमी की राशि उपलब्ध करानी होगी, अर्थात रु.10,00,00,000 अंकित मूल्य की केंद्र सरकार की प्रतिभूति 8.33 %GS 2026 उसी दिवस अर्थात 14/09/2016 को शाम 5:30 बजे तक आरआरसी खाते में उपलब्ध करानी होगी। इसकी पुष्टि भारतीय रिज़र्व बैंक को करनी होगी ताकि सहभागी के संबंध में द्वितीय चरण का निपटान पूर्ण किया जा सके।

9. इस अधिसूचना के बावजूद यदि व्यतिक्रम करने वाले सहभागी दिए गए समय के भीतर निपटान के लिए प्रतिभूतियाँ उपलब्ध कराने में असमर्थ होते हैं तो अपवादात्मक स्थिति से निपटने की प्रक्रिया (exception handling) निम्नानुसार प्रारंभ होगी।

9.1 सिस्टम आरआरसी खाते की जांच करेगा तथा प्रतिभूतियों को उपलब्ध सीमा तक डेबिट करेगा (लेनदेन के प्रथम चरण में आरबीआई द्वारा प्रदत्त प्रतिभूतियों में से)।

9.2 राशि में कमी की गणना डर्टी मूल्य (क्लीन मूल्य + उपार्जित ब्याज) के अनुसार होगी जो संबंधित प्रतिभूतियों के नवीनतम उपलब्ध फिम्डा मूल्य के हिसाब से अंकित मूल्य के अनुसार संबंधित प्रतिभूतियों की कमी की राशि की सीमा तक होगी।

उदाहरण ग: राशि में कमी की गणना	
i.	उक्त उदाहरण ख के साथ आगे बढ़ते हुए, जहां रु.10,00,00,000 अंकित मूल्य की केंद्र सरकार की प्रतिभूति 8.33 %GS 2026 की कमी है।
ii.	मान लें कि फिम्डा की 12/09/2016 (अवकाश का दिन होने के कारण 13/09/2016 को सरकारी प्रतिभूति बाजार बंद है) की फाइल के अनुसार केंद्र सरकार की प्रतिभूति 8.33 %GS 2026 की कीमत रु.108.8468 है।
iii.	09/07/2016 (अंतिम कूपन की तिथि) से 14/09/2016 तक कुल 65 दिनों के लिए उपार्जित ब्याज रु.1.5040 (8.33x 65/360) होगा।
iv.	तदनुसार, प्रतिभूति की सकल कीमत (डर्टी प्राइस) रु.110.3508 (108.8468+1.5040) होगी।
v.	इसलिए रुपये में कमी की राशि रु.11,03,50,800 होगी।

9.3 व्यतिक्रम की राशि की कमी को, उपलब्धतानुसार नीचे दिए गए क्रम में वसूल किया जाएगा।

9.3.1 रिवर्स रिपो लेनदेन के प्रथम चरण में सहभागियों द्वारा जमा की गई राशि से।

9.3.2 रिवर्स रिपो लेनदेन में व्यतिक्रम करने वाली संस्था को देय ब्याज से।

9.3.3 भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अनुरक्षित सहभागी के चालू खाते से।

9.4 इसके अतिरिक्त, निम्नानुसार दंड भी लगाया जाएगा।

10. व्यतिक्रम के लिए दण्ड

10.1. रिवर्स रेपो लेनदेन के द्वितीय चरण के निपटान के समय RRC खाते में पर्याप्त प्रतिभूति उपलब्ध नहीं कराए जाने को व्यतिक्रम माना जाएगा ।

10.2. आरबीआई मीयादी रिवर्स रेपो के किसी भी निर्गम में हुए व्यतिक्रम को 'एक व्यतिक्रम' समझा जाएगा । उदाहरण के लिए, यदि 15.09.2016 को तीन आरबीआई मीयादी रिवर्स रेपो निर्गम निपटान के लिए बकाया हैं {(i) 31.08.2016 को शुरू किया गया 15 दिवसीय मीयादी रिवर्स रेपो, (ii) 01.09.2016 को शुरू किया गया 14 दिवसीय मीयादी रिवर्स रेपो और (iii) 02.09.2016 को शुरू किया गया 13 दिवसीय मीयादी रिवर्स रेपो} तथा 15.09.2016 को सभी तीन निर्गमों में भागीदार व्यतिक्रम करता है तो कुल व्यतिक्रमों की संख्या तीन गिनी जाएगी ।

10.3. ऐसे व्यतिक्रम के पाँच कार्यदिवसों के भीतर व्यतिक्रमकर्ता द्वारा संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में असफल रहने की स्थिति में व्यतिक्रमकर्ता को निम्नानुसार प्रति व्यतिक्रम के लिए मौद्रिक दण्ड का भुगतान करना होगा जिसकी अधिकतम राशि रु.5 लाख प्रति व्यतिक्रम होगी ।

क्रम संख्या	निम्नलिखितों पर लागू	मौद्रिक दण्ड	उदाहरण (रु. 5 करोड़ की व्यतिक्रम पर दण्ड राशि)
1	वित्तीय वर्ष में पहले तीन व्यतिक्रम (अप्रैल से मार्च)	0.10 % (10 पैसे प्रति रु.100 अं. मू. के लिए)	रु. 50,000/-
2	उसी वित्तीय वर्ष में अगले तीन व्यतिक्रम	0.25% (25 पैसे प्रति रु.100 अं. मू. के लिए)	रु. 1,25,000/-
3	उसी वित्तीय वर्ष में अगले तीन व्यतिक्रम	0.50% (50 पैसे प्रति रु.100 अं. मू. के लिए)	रु. 2,50,000/-

10.4. मौद्रिक दण्ड को आरबीआई स्थित संबंधित भागीदार के चालू खाते से सीधे डेबीट/ ऋणांकित कर लिया जाएगा।

10.5. एक वित्तीय वर्ष में दसवा व्यतिक्रम होने पर, उसे वित्तीय वर्ष के अवशिष्ट भाग के दौरान आरबीआई के रेपो / रिवर्स रेपो / एमएसएफ नीलामियों में भाग लेने से रोक दिया जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष में, यदि सहभागी यह संतुष्ट करता है कि उसने अपने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार कर लिया है, तब आरबीआई इन सुविधाओं का उपयोग करने हेतु विशिष्ट अनुमोदन प्रदान कर सकता है।

10.6. वार्षिक वित्तीय विवरण के “लेखाओं के संबंध में टिप्पणी” के तहत व्यतिक्रमकर्ता भागीदार को चाहिए कि वह वित्तीय वर्ष के दौरान व्यतिक्रमों के मामलों की संख्या तथा रिज़र्व बैंक को भुगतान किए गए दण्ड की मात्रा के विषय में समुचित प्रकटन करें।

10.7. रिज़र्व बैंक को यह अधिकार होगा कि वह समय-समय पर आरबीआई द्वारा अधिसूचित निबंधन और शर्तों के उल्लंघन के लिए, आरबीआई की रेपो / रिवर्स रेपो / एमएसएफ नीलामियों में से किसी में भी भाग लेने पर अस्थाई अथवा स्थायी प्रतिबंध लगा सकता है।

11. सहभागियों को सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त निर्देशों के अनुपालन हेतु आवश्यक परिचालनात्मक व्यवस्था करें ।

000